



## JobKeeper भुगतान

ऑस्ट्रेलिया की सरकार के JobKeeper भुगतान के तहत, कोरोनावायरस के आर्थिक प्रभाव से प्रभावित पात्र व्यापार अपने कर्मचारियों को वेतन देना जारी रखने के लिए वेतन सब्सिडी (वेतन संबंधी माली मदद) प्राप्त करने में सक्षम होंगे।

प्रभावित रोजगारदाता 30 मार्च 2020 से लेकर 27 सितम्बर 2020 तक प्रति पात्र कर्मचारी के लिए हर दो सप्ताह के लिए \$1,500 का क्लेम करने में सक्षम होंगे।

JobKeeper भुगतान यह सुनिश्चित करता है कि पात्र रोजगारदाता अपने कार्यबल से संपर्क बनाए रखते हैं और इससे इस संकटकाल के समाप्त होने पर व्यापारों को जल्दी से दोबारा शुरुआत करने में मदद मिलेगी।

यह भुगतान कोरोनावायरस के आर्थिक प्रभाव को दूर रखने की सरकार की योजना का भाग है और यह रिक्वरी करने के लिए एक मार्ग का निर्माण करने में सहायता करता है।

### रोजगारदाताओं के लिए महत्वपूर्ण जानकारी

JobKeeper भुगतान प्राप्त करने के लिए रोजगारदाताओं के लिए यह आवश्यक है कि वे Australian Taxation Office (ATO) की वेबसाइट [www.ato.gov.au](http://www.ato.gov.au) पर आवेदन करने की इच्छा प्रकट करने के लिए रजिस्टर करें।

रोजगारदाताओं को यह आकलन भी करना चाहिए कि क्या उनके टर्नओवर (कारोबार) में आवश्यक गिरावट आई है या क्या वे इस गिरावट का सामना करेंगे – अधिकांश लघु व्यापारों के लिए, यह 1 मार्च 2020 से लेकर कम से कम एक-महीने की अवधि के लिए मुनाफे में 30 प्रतिशत या इससे अधिक की कमी आना है।

टर्नओवर परीक्षण और पात्रता की आवश्यकताएँ पूरा करने वाले दानी संगठनों सहित लाभ-निरपेक्ष संगठन तथा साथ ही सेल्फ-इम्प्लॉयड (स्वनियोजित) व्यक्ति भी JobKeeper भुगतान के लिए आवेदन कर सकते हैं।

प्रक्रिया के भाग के तौर पर, रोजगारदाताओं को ATO को पात्र कर्मचारियों की जानकारी प्रदान करनी चाहिए। इसमें 1 मार्च 2020 तक पात्र कर्मचारियों की संख्या और व्यापार द्वारा वर्तमान में नियुक्त कर्मचारियों से सम्बन्धित जानकारी शामिल है (स्टुड डाउन या पुनः काम पर रखे कर्मचारियों सहित)।

पात्र रोजगारदाताओं को मई महीने के पहले सप्ताह से उनका पहला JobKeeper भुगतान मिलेगा।

### कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी

यदि आप एक कर्मचारी हैं, आपका रोजगारदाता उस परिस्थिति में आपको सूचित करेगा यदि वह आपकी ओर से JobKeeper भुगतान का क्लेम कर रहे हैं – अधिकांश कर्मचारियों को आगे कुछ और करने की ज़रूरत नहीं होगी।

फुल टाइम और पार्ट टाइम कर्मचारी, स्टुड डाउन कर्मचारियों सहित, JobKeeper भुगतान के लिए पात्र हैं।

यदि कोई कैजुअल कर्मचारी 1 मार्च 2020 को कम से कम 12 महीनों के लिए नियमित और प्रणालीगत आधार पर अपने रोजगारदाता के साथ काम करता आया है, तो वह भी भुगतान के लिए पात्र होगा। 1 मार्च 2020 को पात्र कर्मचारियों में शामिल हैं:

- ऑस्ट्रेलियाई नागरिक
- परमानेंट वीजा धारक
- स्पेशल कैटेगरी (सबक्लास 444) वीजा धारक।

यदि आप पात्र हैं, तो JobKeeper भुगतान आपकी आमदनी के भाग या संपूर्ण आमदनी में सब्सिडी (माली मदद) देगा – यह आपके रोज़गारदाता की जिम्मेदारी होगी कि वह अपने पेरोल सिस्टम के माध्यम से आपको भुगतान करे।

पात्र कर्मचारियों को अपने रोज़गारदाता से टैक्स काटे जाने से पहले हर दो सप्ताह में एक बार न्यूनतम \$1,500 का भुगतान मिलेगा। JobKeeper भुगतान के कारण किसी अतिरिक्त भुगतान पर कोई सुपरएनुएशन गारंटी भुगतान किए जाने की ज़रूरत नहीं है।

यदि आपको सामान्यतः टैक्स काटे जाने से पहले हर दो सप्ताह में एक बार \$1,500 से कम की राशि प्राप्त करते/करती हैं, तो आपके रोज़गारदाता के लिए यह आवश्यक होगा कि वे आपको टैक्स काटे जाने से पहले हर दो सप्ताह में एक बार न्यूनतम \$1,500 राशि का भुगतान करें।

यदि JobKeeper भुगतान आवेदन स्वीकार किया जाता है, परन्तु वर्तमान में आप JobSeeker या कोई अन्य आमदनी सहायता भुगतान प्राप्त कर रहे/रही हैं, तो आपको अपनी परिवर्तित स्थिति की सूचना Services Australia को देनी चाहिए या आप पर ऋण चढ़ सकता है जिसे चुकाया जाना आवश्यक होगा।